"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2015—ज्येष्ठ 1, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-9/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/1876, दिनांक 20-04-2015 द्वारा जिला-रायगढ़, नगर पंचायत सरिया के वार्ड क्र.-4, जिला-बालोद, नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्ड क्रमांक 1, 14 एवं 15 तथा जिला गरियाबंद, नगर पंचायत फिंगेश्वर के वार्ड क्र. 1, 2 एवं 15 के पार्षद पद के निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दिनांक 26 मई, 2015 दिन मंगलवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,जिला-रायगढ़, नगर पंचायत सरिया के वार्ड क्र.-4, जिला बालोद, नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्ड क्रमांक 1, 14 एवं 15 तथा जिला-गरियाबंद, नगर पंचायत फिंगेश्वर के वार्ड क्र. 1, 2 एवं 15 अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 26 मई, 2015, दिन मंगलवार को मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-73/2014/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-11-2006 के द्वारा आरंग निवेश क्षेत्र की सीमायें निर्धारित की गई है, की अनुसूची में निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम पोंडरा, फलई के स्थान पर ग्राम बोडरा, कलई.

दक्षिण में : ग्राम अकलीखुर्द के स्थान पर अकोलीखुर्द-2.

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला राजनांदगांव के छुरिया निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 3109/06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	रामपुर प.ह. नं. 36	7.82	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा.	कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 3110/12/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जेंजरा प.ह. नं. 07	13.08	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा.	कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 3111/15/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	हुंकरा प.ह. नं. 07	2.26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा.	कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 3112/04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	महेशपुर प.ह. नं. 08	11.48	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा.	कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 3113/14/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	अमरपुर प.ह. नं. 01	0.53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा.	कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 3114/05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	नवागांव प.ह. नं. 08	2.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा.	कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	नवागांव प.ह. नं. 01	10.57	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.)	परसुलीडीह एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	सरईभदर	0.55	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी.	मारागांव एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 22 अप्रैल 2015

प्रकरण क्र. 02/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	लोरमी	कोयलारी प.ह. नं. 33	0.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)	कोयलारी एनीकट योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला प.ह. नं. 25	1.518	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट पेमला शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला (हर्राबहार) प.ह. नं. 25	1.038	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट पेमला (हर्राबहार) शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी "बी" प.ह. नं. 26	1.659	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट जमरगी "बी" शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी (बड़ा झिंगरेल) प.ह. नं. 26	2.460	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट जमरगी (बड़ा झिंगरेल) शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	लोकेर प.ह. नं. 24	1.061	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट लोकेर शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 25 अप्रैल 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82 वर्ष 2012-13—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सिलदहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.33 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1136	0.49
	1137/1	0.59
	1137/2	0.23
	1138	0.47
	1067/2	0.28
	2157	0.96
	2158	0.48
	1500	0.83
	1499/2	0.33
	1499/1	0.72
	1489/1, 1490/1	0.67
	1493	0.65
	1381	0.70
	1394	0.86
	1140	0.72
	1382	0.55
	1486	0.77
	1487	0.79
	1396/2	0.54
	1485/4	0.55
	1134	0.39
	1392	0.55
	1510	1.09
	2160/1	0.45
	2161	0.19
	1484/1	0.74
	1485/1	0.47
	2379/1	0.42
	1139	0.54
	1489/2, 1490/2	0.67
	1489/3	0.12
	1477	0.86
	1485/2	0.55
	1485/3	0.55
	1067	0.40
	2162	0.83
	2163	0.27
	2160/2	0.88
	1491	0.37
	1390	0.34
	1488	0.54
	1494	0.28
	1495/2	0.18
	1509	0.56
	1478	0.91
योग	47	25.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कोण्डागांव, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक/1124/सा./व.लि.-02/2015.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही (जलजनित संक्रामक रोग) जैसे उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बिमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अतः छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं धनंजय देवांगन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण कोण्डागांव जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियां, मिष्ठान, मॉस मछलियों, अनाज-रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपात्तिक हैजा जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कोण्डागांव के खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के महत्वपूर्ण बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

4. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

धनंजय देवांगन,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/655.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/6584-85 रायपुर, दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री टी. आर. भारद्वाज नायब तहसीलदार (राजस्व) बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का ज्ञापन क्रमांक/192/भा.स.अ./स्था./2015-16/112 दिनांक 16-04-2015 द्वारा श्री फुलस्त राम धृतलहरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री टी. आर. भारद्वाज नायब तहसीलदार (राजस्व) बिलाईगढ़ के स्थान पर श्री फुलस्त राम धृतलहरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/760.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2013-14/6378-79 रायपुर, दिनांक 13-02-2015 द्वारा श्री आशीष टिकरिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा का पत्र क्रमांक 5347 दिनांक 16-04-2015 द्वारा श्री दिनेश चिंचोलकर तहसीलदार, जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आशीष टिकरिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर श्री दिनेश चिंचोलकर तहसीलदार जांजगीर-चांपा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/763.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/3710 रायपुर, दिनांक 13-09-2013 द्वारा श्री संजय कनौजे संयुक्त कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा को कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्रमांक 143/अ.क.ले./उ.लि./2015 दिनांक 25-03-2015 द्वारा श्री टिकेश्वर सिंह, डिप्टी कलेक्टर भाटापारा को भारसाधक अधिकारी के लिए नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री संजय कनौजे संयुक्त कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री टिकेश्वर सिंह, डिप्टी कलेक्टर भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2014/1281.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2013, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 द्वारा विधान सभा साधारण निर्वाचन-2013 में जिला जशपुर, रायगढ़, दुर्ग, कबीरधाम एवं कोण्डागांव से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 7 अप्रैल, 2015—17 चैत्र, 1937 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2013—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है.

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)	नेस्तोर कुजूर, ग्राम-पण्डरीपानी, पोस्ट-सरबकोम्बो, तह.-बगीचा, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	—वही—	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)	अनिल कुमार परहा, ग्राम. पो.-बागबहार, तह.-पत्थलगांव, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
3.	—वही—	16-रायगढ़	जयकिशोर प्रधान, चक्रधरनगर, बंगला-पारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	18-खरसिया	अजय कुमार सिदार, ग्राम-लोधिया, पोस्ट-सरवानी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	त्रिभुवन सिंह राठिया, ग्राम + पो.-कटाईपाली (सी), तह.-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
6.	—वही—	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	बसील बेक, मु. पो.-पखनाकोट, पोस्ट-सूपकालो, तह.-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	62-पाटन	श्री बलदाऊ प्रसाद साहु, ग्राम व पोस्ट-बटरेल, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
8.	—वही—	—वही—	मंगू लाल बंजारे, बेंदरी रोड बड़ा पावर हाऊस के पास उरला, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
9.	—वही—	66-वैशालीनगर	नजरूल इस्लाम खान, सड़क नं. 18, शांतिपारा, शर्मा फर्निचर के पीछे, केम्प-01, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
10.	—वही—	72-कवर्धा	कन्हैया लाल पटेल, बजरंग पारा, कोहका, वार्ड क्र. 8 भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
11.	—वही—	—वही—	कृष्ण कुमार डाहिरे, ग्राम-लोकबंद, पो.-करगीखुर्द, थाना+तह.-कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
12.	—वही—	—वही—	निरंजन खरे, सिविल लाईन, मजगांव, 3, एनर्जी पार्क, वार्ड नं. 06, कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़.	—वही—
13.	—वही—	82-केशकाल	दानीराम मरकाम, ग्राम-गमहरी, पो.-तितिरवण्ड तह.+थाना-विश्रामपुरी, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	82-केशकाल	पंचुराम नेताम, ग्राम-आमागुहान, पो.-कोरगांव, तह.-बड़ेराजपुर, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 7th April 2015—17 Chaitra, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2013.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	13-Kunkuri (ST)	Nestor Kujur, Village-Pandripani, P. O.-Sarabkombo, Tah.-Bagicha, Distt.-Jashpur, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of Election expenses

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	14-Pathalgaon (ST)	Anil Kumar Parha, Vill.+P. O.-Bagbahar, Tah.-Pathalgaon, Distt.-Jashpur, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of Election expenses
3.	—do—	16-Raigarh	Jaikishor Pradhan, Chakradharnagar, Bangalapara, Raigarh, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	18-Kharsia	Ajay Kumar Sidar, Village-Lodhiya, Post-Sarwani, Tah.-Khars Dist.-Raigarh, Chhattisgarh	—do—
5.	—do—	19-Dharamjaigarh (ST)	Tribhuwan Singh Rathiya, Vill.+Post-Kataipali (C), Tah.-Dharamjaigarh, Dist.-Raigarh, Chhattisgarh	—do—
6.	—do—	—do—	Basil Beck, Vill.-Pakhnakot, Post-Supkalo, Tah.-Dharamjaigarh, Dist.-Raigarh, Chhattisgarh.	—do—
7.	—do—	62-Patan	Baldau Prasad Sahu, Vill. & Po.-Batrel, Tahsil-Patan, Dist.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	—do—	Mangu Lal Banjare, Bendri Road, Near Bada power House, Urla, Dist.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
9.	—do—	66-Vaishalinagar	Nazrul Islam Khan, Street No. 18, Shanti Para, Behind Sharma Furniture, Camp-01, Bhilai Tahsil & District-Durg, Chhattisgarh.	—do—
10.	—do—	72-Kawardha	Kanhaiya Lal Patel, Bajrang Para, Kohka, Ward No.-8, Bhilai, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
11.	—do—	—do—	Krishna Kumar Dahire, Vill.-Lokband, Post.-Kargikhurd, Tehsil-Kota, Distt.-Bilaspur, Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	—do—	Niranjan Khare, Civil line, Majgaon, 3, Energy Park, Word No.-06, Kawardha, Distt.-Kabirdham, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	82-Keshkal	Daniram Markam, Vill.- Gamhari, Post.-Titirwand, Tah.-Baderajpur, Distt.-Kondagaon, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of Election expenses
14.	—do—	—do—	Panchuram Netam, Vill.-Aamaguhan, Post.-Korgaon, Tah.-Baderajpur, Dist.-Kondagaon Chhattisgarh.	—do—

By order,

Sd/-

(R. K. SHRIVASTAVA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुरनगर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्रमांक 275/नग्रानि./कुनकुरी/वि.यो./2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कुनकुरी निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर (छ.ग.), कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जशपुर (छ.ग.) तथा प्रदर्शनी स्थल, पुराना नगर पंचायत कार्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.) में दिनांक 30-04-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

कुनकुरी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

कुनकुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम रेमते, गीनाबहार, बेमताटोली एवं ग्राम कंडोरा की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कंडोरा पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कंडोरा, घुमाडाड, कुनकुरी, गड़ाकाटा एवं ग्राम पण्डरीपानी की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पण्डरीपानी, रेमते एवं ग्राम गीनाबहार की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 275/T & CP/Kunkuri/DP/2015.— Notice is hereby given that of existing land use map for Kunkuri Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from 30-04-2015 during office hour in the office of the Collector Distt. Jashpur (C.G.), office of the Assistant Director Town and Country Planning, Jashpur C. G. and O/o Old Nagar Panchayat Kunkuri Distt. Jashpur C.G.

The limits of Kunkuri Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Kunkuri Planning Area

NORTH : Village Remte, Ginabahar, Bemtatoli and Kandora to Northern Boundary.

EAST : Village Kandora to Eastern Boundary.

SOUTH : Village Kandora, Ghumadand, Kunkuri and Pandaripani to Southern Boundary.

WEST : Village Pandaripani, Remte and Ginabahar to Western Boundary.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Where any objection or suggestion regarding said above existing land use map which received from any person before the specified period will be consider by the Commissioner cum Director Town and Country Planning Chhattisgarh Naya Raipur.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st May 2015

No. 304/Confdl./2015/II-2-1/2015.— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office (s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Deepak Kumar Tiwari, District & Sessions Judge.	Balod	Rajnandgaon	Rajnandgaon	District & Sessions Judge.
2.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Special Judge under S.C. & S. T. (P. A.) Act.	Raipur	Balod	Balod	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 1st May 2015

No. 306/Confdl./2015/II-2-1/2015.— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office (s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri N. D. Tigala, I Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	Special Judge under S.C. & S. T. (P.A.) Act.
2.	Shri Jagdamba Rai, Special Judge Under SC & ST (P.A.) Act.	Raigarh	Bilaspur	Bilaspur	Special Judge under S.C. & S. T. (P.A.) Act.
3.	Shri Sudhir Kumar, Additional District & Session Judge (Fast Track Court)	Jashpur	Korba	Korba	Special Judge under S.C. & S. T. (P.A.) Act.
4.	Shri Manish Kumar Naidu, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act.	Bilaspur	Raigarh	Raigarh	Special Judge Under S.C. & S. T. (P.A.) Act.

Bilaspur, the 1st May 2015

No. 308/Confdl./2015/II-2-1/2015.— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Satyabhama Ajay Dubey, Chairman Permanent Lok Adalat.	Durg	Sakti	Janjgir-Champa	II Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Jantaram Banjara, Additional District & Sessions Judge.	Kunkuri	Pratappur	Surajpur	Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Shri Jitendra Kumar, II Additional District & Sessions Judge.	Sakti	Raipur	Raipur	I Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Mohd. Rizwan Khan, I Additional District & Sessions Judge.	Balod	Kunkuri	Jashpur	Additional District & Sessions Judge.
5.	Smt. Vinita Warner, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)	Mahasamund	Kawardha	Kawardha	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)
6.	Shri Dileshwar Singh Rathiya, Additional District & Sessions Judge.	Pratappur	Balod	Balod	I Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Omprakash Singh Chauhan, IV Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Mahasamund	Mahasamund	I Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Sheikh Ashraf, III Additional District & Sessions Judge.	Durg	Bilaspur	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri Alok Kumar (Jr.), II Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Additional District & Sessions Judge.
10.	Smt. Leena Agrawal, I Additional District & Sessions Judge.	Rajnandgaon	Jashpur	Jashpur	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)
11.	Smt. Sunita Toppo, I Additional District & Sessions Judge.	Mahasamund	Mahasamund	Mahasamund	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)

Bilaspur, the 1st May 2015

No. 310/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrates, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.), I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.), Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Bijapur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Ashish Pathak, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Bilaspur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 4th May 2015

No. 312/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Prabhakar Gwal, II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-I.
2.	Smt. Pallavi Tiwari, III Civil Judge Class-I.	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I.
3.	Ku. Deepa Katare, II Civil Judge Class-I.	Balod	Surajpur	Surajpur	Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
4.	Shri Vinay Kumar Pradhan, II Civil Judge, Class-I.	Dhamtari	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-I.

Bilaspur, the 4th May 2015

No. 314/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Mohan Singh Korram, Civil Judge Class-II.	Malkharoda	Saja	Bemetara	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Ajay Kumar Xaxa, Civil Judge Class-II.	Wadrafnagar	Malkharoda	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
3.	Shri Digvijay Singh, Civil Judge Class-II.	Saja	Jaijaipur	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
4.	Ku. Yashoda Kashyap, Civil Judge Class-II.	Kota	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-II.
5.	Shri Roopnarayan Pathare, Civil Judge Class-II.	Jaijaipur	Wadrafnagar	Balrampur	Civil Judge Class-II
6.	Shri Sarv Vijay Agrawal, Civil Judge Class-II.	Pamgarh	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-II.
7.	Shri Harendra Singh Nag, Civil Judge Class-II.	Konta	Raipur	Raipur	V Civil Judge Class-II.
8.	Shri Sameer Kujur, Civil Judge Class-II.	Nagri	Durg	Durg	V Civil Judge Class-II.
9.	Smt. Reshma Kujur, II Civil Judge Class-II.	Dhamtari	Durg	Durg	IV Civil Judge Class-II.
10.	Smt. Priyanka Agrawal, Civil Judge, Class-II.	Bilaigarh	Raipur	Raipur	VIII Civil Judge Class-II.
11.	Shri Mohammed Jahangir, Tigala, III Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Kota	Bilaspur	Civil Judge Class-II
12.	Shri Sumit Kumar Harsyana, Civil Judge Class-II.	Dharamjai-garh	Durg	Durg	IX Civil Judge Class-II.
13.	Shri Jeetendra Pradhan, Civil Judge Class-II.	Jashpur	Dharamjai-garh	Raigarh	Civil Judge Class-II
14.	Shri Vyankatesh Singh, I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Durg	Durg	VII Civil Judge Class-II.
15.	Shri Radheshyam Dhruw, VII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Nagri	Dhamtari	Civil Judge Class-II.
16.	Smt. Anita Dhruw, II Civil Judge Class-II.	Balod	Bilaigarh	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-II.
17.	Shri Girish Kumar Mandavi, VIII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Durg	Durg	VIII Civil Judge Class-II.
18.	Shri Satish Kumar Khakha, II Civil Judge Class-II.	Mahasamund	Pamgarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 5th May 2015

No. 06/Comp./2015.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Pradeep Kumar Singh, the then IV Additional District and Sessions Judge, Raipur, presently posted as Judge, Family Court, Bastar at Jagdalpur for his grave misconduct.

And Whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Pradeep Kumar Singh, the then IV Additional District and Sessions Judge, Raipur, presently posted as Judge, Family Court, Bastar at Jagdalpur under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. The Head Quarter of Shri Pradeep Kumar Singh shall be at Jagdalpur during pendency of the departmental enquiry. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

Bilaspur, the 5th May 2015

No. 07/Comp./2015.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Rohit Singh Tanwar, the then Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur, presently posted as First Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Narayanpur, District Kondagaon for his grave misconduct.

And Whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Rohit Singh Tanwar, the then Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur, presently posted as First Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Narayanpur, District Kondagaon under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. The Head Quarter of Shri Rohit Singh Tanwar shall be at Kondagaon during pendency of the departmental enquiry. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

Bilaspur, the 5th May 2015

No. 08/Comp./2015.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Sanjay Kumar Soni, the then C.J.M., Raigarh, presently posted as Civil Judge Class-I & C.J.M., Kabirdham (Kawardha) for his grave misconduct.

And Whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Janjay Kumar Soni , the then C.J.M., Raigarh, presently posted as Civil Judge Class-I & C.J.M. Kabirdham (Kawardha) under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. The Head Quarter of Shri Sanjay Kumar Soni shall be at Kawardha during pendency of the departmental enquiry. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar (Vigilance) and (I & E).